

मांग संख्या 58  
मुख्य शीर्ष 2245

**मद क्रमांक 1**

बाढ़, अतिवृष्टि आदि से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल के मरम्मत और बहाल कार्य हेतु राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत राशि ₹ 7415.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 74,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

बाढ़, अतिवृष्टि आदि से क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के मरम्मत और उसकी पुनःस्थापना हेतु राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत राशि ₹ 11250.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,12,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3 से 5**

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन के अंतर्गत दक्षता निर्माण हेतु ₹ 215.75 लाख की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,15,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।